	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अनुपालन
16.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। बंदोबस्तदार द्वारा नोटिस के आलोक में कारणपृच्छा के साथ भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित कागजात समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार अनु0 पदा0, गोड्डा के बन्दोवस्ती वाद सं0 02/2001—02 से पुनम देवी पति गणेश दास को प्रश्नगत भूमि की बन्दोवस्ती मिली है। इनके द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा में मकान बनाकर शांतिपूर्ण निवास करने तथा बन्दोवस्त भूमि दखल कब्जा में रहने की बात कही गई है। संबंधित राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक से वर्तमान भौतिक स्थिति प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर मांगे। 16.12.2020 लेखापित अंचल अधिकारी, अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर।	
24-12-2020	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री जनार्दन गिरि द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदनानुसार मौजा बढौना थाना सं0—371 के गैरमजरूआ खाता सं0—96 के अंदर दाग सं0—735 कुल खतियानी रकवा 00—13—13 धूर किस्म परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में अंकित है। पंजी-II में खाता सं0—96 के अन्दर बन्दोवस्त रकवा 00—04—00 धूर पुनम देवी पति गणेश दास सा0 बढौना के नाम से अनु0 पदा0 गोड्डा के बन्दोवस्ती वाद सं0 02/2001—02 के आधार पर दर्ज है। उक्त जमीन पर बन्दोवस्तदार रैयत/बंशज का मकान सह चाहरदिवारी के रूप में दखल कब्जा है। फोटो प्रति संलग्न। अधोहस्ताक्षरी के साथ दिनांक—04.01.21 को संयुक्त स्थल जाँच हेतु संबंधित हल्का कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक को उपस्थित रहने का निदेश दें। 24.12.2020 लेखापित अंचल अधिकारी, अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर।	
07.01.2021	अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी द्वारा हल्का कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक के साथ मौजा बढौना जाकर उपर्युक्त प्रश्नगत जमीन का संयुक्त जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया कि पंजी—II रैयत/बंशज का जमीन पर मकान सह चाहरदिवारी के रूप में दखल—कब्जा है। तथा उक्त भूमि अनु0पदा0 गोड्डा के बन्दोवस्ती वाद सं0 02/2001—02 से बन्दोवस्त है, जो बैध है। अतः झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग के संकल्प सं0 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के तहत मौजा बढौना थाना सं0—371 के गैरमजरूआ खाता सं0—96 के अंदर दाग सं0—735 किस्म परतीकदीम में बंदोवस्त रकवा 00—04—00 धूर जमीन का अवैघ/संदेहास्पद जमाबन्दी को जांचोपरान्त नियमानुसार वैध पाया गया। अतः संधारित अवैध/संदेहास्पद खाता को संचित करते हुए नियमित किया जाता है। 7.1.21 लेखापित 7.1.21 अंचल अधिकारी, अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर।	